बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संचिका सं0–15/आरोप (भागलपुर) 02–115/2023– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–115 दिनांक–02.09.2024 द्वारा **श्रीमती स्मिता झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाथनगर, भागलपुर** के विरूद्ध पदीय दायित्व के निर्वहन में लापरवाही करने, बिहार लोक शिकायत अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत दायर अपील वाद की अन्य संख्या 422110105042303109/1A में दिनांक–28.06.2023 की सुनवाई में पारित अंतिम आदेश का अनुपालन नहीं करने, अनधिकृत रुप से निजी व्यक्तियों के माध्यम से सरकारी कार्य का निष्पादन कराने, मुख्यालय से अनधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने, विभागीय कार्यों में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, दाखिल–खारिज, परिमार्जन, नामान्तरण एवं लोक सेवा के अधिकार अन्तर्गत सभी प्रकार के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने में अनावश्यक रुप से विलम्ब करने एवं अस्वीकृत दाखिल–खारिज वाद संख्या– 6170/2022–23 में दिनांक–19.04.2023 को स्वीकृति देने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों को विभाग स्तर पर पुनर्गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–2303(15), दिनांक–14.11.2024 द्वारा श्रीमती झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्रीमती झा द्वारा दिनांक–09.12.2024 से अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त एवं आरोप की प्रकृति गंभीर होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती झा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लिया गया। विभागीय संकल्प सं0–439(15) दिनांक–20.03.2025 द्वारा श्रीमती झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की विस्तृत जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को जाँच/संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–132/वि0जाँच दिनांक–24.12.2025 द्वारा श्रीमती झा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं0–04 एवं 05 को प्रमाणित पाया गया एवं आरोप सं0–01 एवं 06 को अंशतः रूप से प्रमाणित पाया गया तथा आरोप सं0–02, 03 प्रमाणित नहीं पाया गया।

5. उक्त प्रमाणित आरोपों एवं आरोप की प्रकृति गंभीर होने के फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव आरोप पत्र में अंकित आरोपों एवं संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती स्मिता झा, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नाथनगर, भागलपुर **सम्प्रति राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–पुरैनी, मधेपुरा** के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना 01(एक) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड"** (आदेश निर्गत की तिथि से) अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 15/आरोप (भागलपुर) 02–115/2023–...........................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...................................

स्पीड–पोस्ट
ई–मेल

प्रतिलिपि :–समाहर्त्ता, भागलपुर को उनके पत्रांक–115 दिनांक–02.09.2024 के प्रसंग में/ समाहर्त्ता, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर एवं मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/श्रीमती स्मिता झा, राजस्व अधिकारी, अंचल कार्यालय–पुरैनी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–115/2023–.........721.........(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–02/06/2026

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्रीमती स्मिता झा** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

02/6/26
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Dand (Order)_26 Sankalp\Ishmita Jha (CO_Nathnagar_Bhagalpur)_संचयी प्रभाव के बिना 1.doc